



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC - LIGNITE

Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761

E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, Web: www.rsmm.com

Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई-निविदा संख्या: RSMML/CEU-Lig./BMR/SLP/2026-27/27/37 दिनांक : 30.07.2026

सोनडी लिग्नाईट परियोजना

बाड़मेर के लिए

एक एम्बुलेन्स (**Ambulance**) किराये पर लेने हेतु

ई-निविदा प्रपत्र

Issued: On behalf of RSMML

By

GGM (Lignite)

Udyog Bhawan, Khanij Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005

Period of online availability of Tender Document.	:	From 30.07.2026 to 17.08.2026 upto 01.00 PM
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online	:	17.08.2026 upto 03.00 PM
Last date of physical depostion of EMD, Cost of Tender Document, Processing fees and requisite original Documents/ Affidavits etc. with duly filled Tender Document.	:	17.08.2026 upto 05.00 PM
Online opening of Bid (Part-I)	:	On 18.08.2026 at 11.00 AM

Registered Office: C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur -302 015 Phone:0141-2743734 Fax : 0141-2743735	Corporate Office: 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001 Phone : 0294-2428763-67, fax 0294-2428768, 2428739	SBU & PC – Lignite: Khanij Bhawan, 'C' Scheme, Tilak Marg, Jaipur-302005. Phone No (0141)2227690, 2227938, 2227906, Fax: 141-2227761
--	---	---

Cost of tender document : Rs. 590/- (Inclusive GST) Non Transferable & Non Refundable.



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

Phone: 0141-2227938, 2227947 Fax: 0141-2227360, 2227761

E-mail: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in,

Web: www.rsmm.com

Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई-निविदा संख्या- RSMM/CEU-Lig./BMR/SLP/2026-27/27/37

दिनांक : 30.07.2026

कार्य का विवरण	ई-निविदा प्रपत्र डाउनलोड व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि, निविदा प्रपत्र मूल्य एवं ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क	कार्य अवधि, न्यूनतम मासिक परिचालन एवं अनुमानित लागत
सोनडी लिग्नाईट माईन्स, बाड़मेर के लिये एम्बूलेन्स मय चालक सहित किराये पर लेने हेतु। मॉडल वर्ष 2026 या उसके बाद का होना आवश्यक है।	आनलाईन निविदा मिलने की अवधि दिनांक 30.07.2026 से प्रारम्भ होकर 17.07.2026 दोपहर 01.00 बजे तक आनलाईन निविदा भरने की अन्तिम तिथि व समय 17.08.2026 सांय 03.00 बजे तक ई-निविदा अनुसार डी.डी. एवं अन्य शुल्क तथा मूल प्रपत्र भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने की तारीख 17.08.2026 सांय 05.00 बजे तक आनलाईन निविदा खोलने (प्रथम भाग) की तारीख 18.08.2026 को सुबह 11.00 बजे	बयाना राशि- रु.24000/- निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 590.00 जीएसटी सहित (अप्रतिदेय) ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क रुपये 500/- का डी.डी. जो कि एम.डी., आर. आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय हो	तीन (03) वर्ष 1000 कि.मी. प्रतिमाह रु. 12.00 लाख
विस्तृत ई-निविदा सूचना तथा अन्य शर्तों के लिये website- www.rsmm.com, sppp.raj.nic.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।			

समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट)



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

Phone : (0141) 2227938, 2227947 Fax: 0141-2227761

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

विस्तृत ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या- RSM/CEU-Lig./BMR/SLP/2026-27/27/37

दिनांक : 30.07.2026

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से आन-लाईन निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव, में आमन्त्रित की जाती हैं। कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण	बयाना राशि	कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
सोनडी लिग्नाईट माईन्स, बाड़मेर के लिये एम्बूलेन्स मय चालक सहित किराये पर लेने हेतु। मॉडल वर्ष 2026 या उसके बाद का होना आवश्यक है।	रुपये 24,000 /-	03 (तीन) वर्ष 1,000 कि.मी. प्रतिमाह रुपये 12.00 लाख
Cost of tender document is Rs. 590/- (Inclusive of GST) by Demand Draft/Pay Order/Banker's Cheque, in favour of "RSM Ltd." Payable at Jaipur.		
Processing Fee.	Rs. 500/- payable by D.D. in favour of M.D., RISL, payable at Jaipur.	
Period of online availability of Tender Document	From 30.07.2026 to 17.08.2026 upto 01.00 PM	
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	17.08.2026 upto 03.00 PM	
Last date of physical deposition of EMD, Cost of Tender Document, Processing fees and requisite original Documents/ Affidavits etc. with duly filled Tender Document.	17.08.2026 upto 03.00 PM	
Online opening of Bid (Part-I).	On 18.08.2026 at 11.00 AM	

ई-निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि www.rsmm.com, eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है। इस हेतु कार्यालय समयावधि में किसी भी कार्यदिवस को समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट) से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

बयाना राशि रुपये 24,000 /- (रुपये बारह हजार मात्र) निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी।

ई-निविदाकर्ता अपनी निविदा **दिनांक 17.08.2026** को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में सांय 03:00 बजे तक प्रस्तुत करेगा तथा निश्चित समय एवं तिथि पर उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई-निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओं को भिजवायी जावेगी।

जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कम्पनी द्वारा प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी, किसी भी प्रकार निविदा प्राप्ति में देरी अथवा विलम्ब के बारे में दावा मान्य नहीं होगा। कम्पनी के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Note: The tenderers are advised to keep visiting our website till due/extended date(s) of tender for corrigendum/addendum, if any, to the tender. DD of EMD, Tender document fees, processing fees and affidavits shall be physically deposited in original to RSMML, on the due date and scanned copy of same is to be uploaded with other documents.

पात्रता :- क्लॉज संख्या 3.0 के अनुसार।

समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट)



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू-पीसी लिग्नाइट, जयपुर

एसबीयू-पीसी लिग्नाइट,
खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर -302005.
फोन नं.-0141-2227627,
फैक्स नं- 0141-2227761, 2227060

रजिस्टर्ड कार्यालय
आर.एस.एम.एम.लि0,
सी-89-90, जनपथ, लालकोठी स्कीम,
जयपुर-302015.

ई-निविदासंख्या: RSMM/CEU-Lig./BMR/SLP/2026-27/27/37

दिनांक : 30.07.2026

ई-निविदा प्रपत्र

1.0 सोनडी लिग्नाइट खदान

गिराल लिग्नाइट खदान, बाड़मेर-जैसलमेर-आकली सड़क पर बाड़मेर से लगभग 43 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खान क्षेत्र में कच्ची एवं पक्की सड़क है व कम्पनी द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व इनकी स्थिति अच्छी तरह देखकर ही अपने रेट प्रस्ताव भरें।

2.0 एम्बूलेन्स वाहन का कार्य क्षेत्र

- 2.1 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) सोनडी खदान, बाड़मेर पर नियमित रूप से 24 घण्टे की जरूरत के अनुसार मय वाहन चालक मासिक आधार पर नियोजित होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र अथवा बाड़मेर जिले के अन्य अस्पताल आदि में जाने के लिए प्रयुक्त की जावेगी।
- 2.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एम्बूलेन्स को बाड़मेर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
- 2.3 इसका मुख्यालय सोनडी खदान पर रहेगा एवं इसका मुख्यालय पूर्व सूचना द्वारा बदला जा सकेगा। इस वाहन का कार्यसमय तीनों पारियों अर्थात् 24 घंटे रहेगा।
- 2.4 उपरोक्त एम्बूलेन्स का उपयोग घायल व्यक्ति/ रोगी/ डाक्टर, कम्पाउन्डर अथवा चिकित्सा में प्रयुक्त आने वाले दवाईयाँ एवं उपकरणों के परिवहन हेतु किया जावेगा।
- 2.5 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) में वातानुकूलित A.C., आक्सीजन सिलेण्डर व अन्य जरूरी उपकरण, स्टेचर एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधित आवश्यक उपकरणों को सुसज्जित रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है। सभी उपकरण 24 घण्टे उपयोग हेतु तैयार अवस्था में उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।

3.0 पात्रता

1. निविदाकर्ता के पास कम से कम रुपये 6,00,000/- (रुपये छः लाख) कारोबार वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है। टर्न ओवर के पक्ष में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है।
2. निविदाकर्ता के पास समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में कम से कम रुपये 02,00,000/- (दो लाख मात्र) राशि का एक सम्पादित कार्य प्रमाण-पत्र गत वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम होना आवश्यक है।

3. जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कम्पनी द्वारा/अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है ।
4. निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ट संख्या-य के अनुसार निविदाकर्ता को 50/- रुपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित कार्यादेश जारी होने की स्थिति में निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार सफलता पूर्वक कार्य सम्पादन करने वास्ते शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये । उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा।

4.0 एम्बूलेन्स का स्वामित्व

- 4.1 कम्पनी को उपरोक्तानुसार वाहन की नियमित आवश्यकता है । अतः निविदाकर्ता के स्वयं/फर्म के किसी एक या अधिक साझीदार के नाम पर वाहन का पंजीकृत होना आवश्यक है । वाहन वर्ष 2026 अथवा उसके बाद के मॉडल का होना चाहिए ।
- 4.2 उपरोक्त क्लॉज के अनुसार स्वयं का वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को एक शपथपत्र परिशिष्ट-द देना होगा कि उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत होने पर वह कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उक्त वाहन उपलब्ध करवा देगा तथा क्लॉज 4.1 के अनुसार प्रस्तावित वाहन सम्बन्धित सभी विवरण इस कार्यालय को सूचित करेगा, अन्यथा कम्पनी को उसकी बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।
- 4.3 निविदाकर्ता, वाहन का स्वामित्व कार्यावधि के दौरान किसी भी अवस्था में लीज-डीड/पॉवर आफ अटोर्नी/ ट्रान्सफर डीड अथवा अन्य माध्यम के जरिये किसी अन्य व्यक्ति/संस्था इत्यादि को हस्तान्तरण नहीं करेगा । ऐसा करने पर प्रबन्धन को अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5.0 निविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता

निविदा का प्रस्ताव (दरें) निविदा खोलने की तिथि से 120 दिवस (4माह) तक मान्य होंगे ।

6.0 कार्य अवधि

कार्य की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से तीन (03) वर्ष होगी । कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात ट्रान्सपरेन्सी एक्ट के तहत आपसी सहमति से कार्य को 50 प्रतिशत तक अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिसका अधिकार आरएसएमएमएल के पास होगा ।

7.0 बयाना राशि

- 7.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रुपये 24,000/- (रुपये चोबीस हजार मात्र) की बयाना राशि निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी ।
- 7.2 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किये जाएंगे ।
- 7.3 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई-पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी

किया जा सकता है जिसके लिये आरएसएमएम लिमि. के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से है:—

Name of beneficiary	RSMM LTD., JAIPUR
Name of Bank	ICICI Bank
Bank Location	Khanij Bhawan, Tilak Marg, Jaipur
Type of Account	C.D.
C.D. Account No.	678605000722
IFSC Code	ICIC 0006786

- निविदाकर्ता को उपरोक्त बयाना राशि अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा ।
- 7.4 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 7.5 असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिये जाने तथा कार्यारम्भ करने के पश्चात् लौटा दी जाएगी ।
- 7.6 सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि जमा करवानी होगी ।
- 7.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नहीं करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
- 7.8 निविदाकर्ता द्वारा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती है:—
- यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात् वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।
 - यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।
 - यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।
 - यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।
 - यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये हैं ।
 - यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है ।

8.0 धरोहर राशि

- 8.1 सफल निविदाकार धरोहर राशि को एक मुश्त/RA Bill (Running Account Bill) में कटौती अथवा एफडीआर, आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत जमा करा सकता है । कम्पनी की निविदा शर्तों के अनुसार धरोहर राशि की दर कुल ठेका राशि की 10 प्रतिशत है ।
- 8.2 सफल निविदाकर्ता किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं प्राइवेट सेक्टर बैंक के (अधिकृत सार्वजनिक एवं प्राइवेट बैंको की सुची पेज संख्या 32 परिशिष्ट-श पर देखें) जयपुर में अपना शाखा कार्यालय होने से जारी कुल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर एसडी को फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद एफडीआर से कर सकता है । एफडीआर आरएसएमएमएल के नाम पर सफल बोलीदाता के खाते में होगी और उसके द्वारा अग्रिम में दी जाएगी । फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद को स्वीकार करने से पहले, यह स्वीकार करना प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि सफल बोलीदाता, सफल बोलीदाता की सहमति के बिना कंपनी को मांग पर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद का भुगतान / समय से पहले भुगतान करने के लिए बैंक से एक उपक्रम प्रस्तुत करता है । सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करने की स्थिति में, फिक्स्ड डिपॉजिट ठेकेदार/उसके द्वारा विरोध किए बिना ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज के साथ जब्त किया जाएगा ।

8.3 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय सफल निविदाकर्ता, प्रत्येक बिल की राशि से 10 प्रतिशत धरोहर राशि के कटौती का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, सफल बोलीदाता की धरोहर राशि की राशि को कुल धरोहर राशि तक पहुंचने में समायोजित किया जा सकता है, या यदि सफल बोलीदाता धरोहर राशि की पूरी राशि जमा करता है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

8.4 धरोहर राशि को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छः माह बाद लौटायी जायेगी लेकिन अनुबंधकर्ता को अनुबंध से संबंधित उसके सारे दायित्व पूरे करने होंगे और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।

8.5 कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूर्ण या आंशिकतौर पर धरोहर राशि को जब्त कर सकती है। तब जब अनुबंधकर्ता या तो अनुबंध के अधीन अपने दायित्व पूरे नहीं करें या कंपनी से संबंधित सभी देयताओं को कंपनी को भुगतान करने में असफल हो।

8.6 अगर अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कारणवश धरोहर राशि कम पड़ती है तो अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी। कंपनी धरोहर राशि की पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से भी कर सकती है।

8.7 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8.8 **अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति.**— (1) RTPP नियम 75क में यथा विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त, असंतुलित बोली के मामले में सफल बोली लगाने वालों से अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी ली जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, असंतुलित बोली रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, करार के निष्पादन से पूर्व सफल बोली लगाने वाले द्वारा एकमुश्त जमा की जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ई—ग्रास, मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, सरकारी प्रतिभूतियों या बैंक गारंटी या इलेक्ट्रानिक बैंक गारंटी (ई—बीजी)) के माध्यम से जमा की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए—

(i) असंतुलित बोली से प्राकलित बोली मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम की कोई बोली अभिप्रेत है।

(ii) प्राकलित बोली मूल्य से उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लिखित उपापन की विषय-वस्तु का मूल्य अभिप्रेत है।

(iii) असंतुलित बोली रकम से प्राकलित बोली मूल्य के पिच्चासी प्रतिशत में से बोली लगाने वाले के द्वारा उत्कथित बोली रकम घटाने पर प्राप्त अन्तर की रकम अभिप्रेत है।

(परंतु बीस करोड़ रुपये या अधिक लागत वाली और हाईटेक परियोजना के रूप में स्टेट ई—गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई—गवर्नेंस परियोजना से संबंधित असंतुलित बोली के मामले में, अतिरिक्त संपादन प्रतिभूति ली जानी अपेक्षित नहीं होगी।)

(2) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, सम्पूर्ण कार्य के समाधानप्रद रूप से पूरा हो जाने के पश्चात् सविदाकार को प्रतिदत्त की जायेगी। यदि सविदाकार द्वारा नियत समय के भीतर कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहृत की जायेगी। असंतुलित बोली और अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति के लिए उपबंध, उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज में उल्लिखित किये जायेंगे।

|

9.0 ई-निविदा प्रपत्र को भरना:-

- 9.1 निविदाकर्ता को स्थान, मार्ग के कच्चे/पक्के, दूरी आदि के बारे में संविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदा में निविदाकर्ता द्वारा लिखी गई किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी निविदा को निरस्त भी किया जा सकता है।
- 9.2 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 9.3 **निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की शर्तों की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।**
- 9.4 ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा दर प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण केवल संदर्भ के लिए ही होगा। निविदा हेतु प्राप्त दर प्रस्तावों का तुलनात्मक मूल्यांकन कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा।

10.0 ई-निविदा प्रक्रिया:

- 10.1 निविदाकर्ता अपनी ई-निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in पर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑन-लाईन ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 10.2 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं।
- 10.3 इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई-निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा **तत्पश्चात्** ही ई-निविदा को ऑन-लाईन भरने के लिए पात्र होंगे।
- 10.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई-निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार के आई.टी. एक्ट-2000 के प्रावधानों के तहत **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है** एवं ई-निविदा के सभी दस्तावेज आदि निविदाकर्ता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे। जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी।
- 10.5 डाउनलोड किये गये ई-निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा।
- 10.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउन-लोड किया जावेगा।
- 10.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है। तत्पश्चात् उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाईन अपलोड करना है।
- 10.8 अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र ही निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये मान्य होगा बशर्ते की निविदाकर्ता ने अपेक्षित ई-निविदा प्रपत्र शुल्क (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क (एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय) एवं निर्धारित बयाना राशि जमा कराई है।
- 10.9 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्कैन कॉपी को भी अपने ई-निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है। उपरोक्त शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्कैन कॉपी अपलोड न करने पर ई-निविदा मान्य नहीं होगी।
- 10.10 निविदाकर्ता उपरोक्त शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार वांछित मूल

शपथ पत्रों को समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट), एसबीयू एवं पीसी – लिग्नाईट, जयपुर को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करेंगे। इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ-साफ अक्षरों में अंकित करेगा। निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में या किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

- 10.11 ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 590/- तथा निर्धारित बयाना राशि रुपये 24,000/- आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के पक्ष में है।
- 10.12 निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्धारित डी.डी./जमा राशि के विवरण आदि ई-निविदा भरते समय ई-निविदा पोर्टल में भी इन्द्राज करना होगा।
- 10.13 उपरोक्त विवरण इन्द्राज करने के पश्चात् निविदाकर्ता को उक्त राशियों के मूल डी.डी./बी.सी./ई-पेमेन्ट जमा के बाबत रेफरेन्स आई.डी., समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट), एसबीयू एवं पीसी- लिग्नाईट, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के कार्यालय में निविदा में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा।

11.0 ई-निविदा प्रपत्र दो (02) भागों में भरा जायगा, जोकि निम्न प्रकार से हैं:-

प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)

द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part, BOQ ऑनलाईन ही भरी जायेगी)।

11.1 प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)

- i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ट-(अ) के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है:-
 - (अ) वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई-पेमेन्ट द्वारा किये गये भुगतान का विवरण।
 - (ब) नाम, पता, ई-मेल, टेलिफोन नं०, मोबाइल नं., फैक्स नं० इत्यादि की जानकारी।
 - (स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति।
 - (द) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति।
 - (य) पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित फोटो प्रति।
- ii) निविदाकर्ता के पास कम से कम रुपये 6,00,000/- (रुपये छः लाख) कारोबार वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है। टर्न ओवर के पक्ष में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है। निविदाकर्ता के पास समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में कम से कम रुपये 02,00,000/- (दो लाख मात्र) राशि का एक सम्पादित कार्य प्रमाण-पत्र गत वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम होना आवश्यक है।
- iii) वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी परिशिष्ट-(ब) में प्रस्तुत करनी होगी।
- iv) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ट-(स) के अनुसार देनी होगी।
- v) स्वयं के स्वामित्व वाली वर्ष 2026 या उसके बाद के मॉडल वाली एम्बुलेन्स के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति या प्रपत्र के (परिशिष्ट-द) के अनुसार रुपये 50/- के स्टाम्प पर शपथपत्र (कार्यादेश से पूर्व)

- vi) कम्पनी में लगाई जाने वाली एम्बुलेन्स की अन्दर से तथा बाहर से लिए गए फोटो चित्र।(कार्यादेश से पूर्व)
- vii) वाहन के कम्प्रेहेंसिव बीमें की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश से पूर्व)
- viii) वाहन के रोड परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश से पूर्व)
- ix) वाहन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटो प्रति ।(कार्यादेश से पूर्व)
- x) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो परिशिष्ट—(र) के अनुसार घोषणा।
- xi) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र परिशिष्ट—(ल) प्रस्तुत करना होगा।
- xii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 में समय—समय पर जारी संशोधन भी लागू रहेंगे।
- xiii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ट संलग्न किये हैं:—
Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1
Annexure D: Additional Conditions of Contract.

नोट— **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है।

11.2 द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part/BOQ)

कार्य की दरें ऑन—लाईन भरनी हैं। निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध ई—निविदा के BOQ फॉर्म में ही भरें।

- कार्य की दरें ऑन—लाईन निविदा भरने का प्रोफॉर्मा परिशिष्ट—(व) के अनुसार है। निविदाकर्ता इस परिशिष्ट (BOQ) को वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेंगे। किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जोकि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है, इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे दर प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- प्रथम तकनीकी—वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा। सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जाएगा।
- मासिक परिचालन (1000 कि.मी.) के अतिरिक्त परिचालन का भुगतान :-
निविदा में उल्लेखित वाहन का कुल मासिक परिचालन 1000 कि.मी. नियत किया गया है। परिचालन 1000 कि.मी. से अधिक होने की परिस्थिति में अतिरिक्त किलोमीटर पर अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। अतिरिक्त किलोमीटर की दर भी पोर्टल पर उपलब्ध BOQ फॉर्म में ही भरनी है।

12.0 निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेश:

- 12.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यद्यपि न्यूनतम दर प्रस्ताव जो कि मासिक आधार पर होगा स्वीकार किया जायेगा, तथापि अतिरिक्त परिचालन की दर भी न्यूनतम होनी चाहिये अन्यथा अतिरिक्त परिचालन की प्राप्त न्यूनतम दर पर L-1 को कार्य करना होगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र के क्लॉज 13.0 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है ।
- 12.2 निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति लिखित में देनी होगी तथा बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी. के रूप में कार्य आदेश देने की तिथि से पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी एवं निश्चित अवधि में कार्यारम्भ करना होगा।
- 12.3 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यदेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होंगे, जोकि इस निविदा की शर्तों, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।
- 12.4 सफल निविदाकर्ता कार्यदेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा।

13.0 नेगोशियेशन:

- 13.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L-1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L₂) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L₃) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।
- 13.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।
- 13.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

14.0 TAXES/GST

- i) The rate quoted by the bidder will be exclusive of Goods & Service Tax (GST). Goods and Service Tax will be paid extra as per specified rates in the Act/Rules. However, the rates will be inclusive of any other Levies and duties, as applicable on this contract (up to last date of submission of bid).
- ii) The rates quoted shall be on firm price basis during the pendency of the contract period and the contractor shall not be eligible for any escalation (except as mentioned in the tender document) in rates on whatsoever ground.
- iii) Timely deposition of GST and filing of requisite tax returns of relevant tax period would be the sole responsibility of the contractor. The contractor will also ensure that necessary credit on this account is available to RSMML in the next month. In case of any discrepancy, where credit is not available to

RSMML, then company is free to deduct/recover/retain such amount from the bills of contractor or any other amount due to him/or from Security deposit, as the case may be.

- iv) In case of reversal of Input Tax Credit (ITC), imposition of penalty on account of payment of GST and default in filing of returns towards the payment for the work, contractor is liable to pay all such dues to the company, failing which RSMML is free to deduct/recover/retain such amount from the bills of contractor or any other amount due to him/or from Security deposit, as the case may be.
- v) Further, the contractor shall submit an undertaking with monthly bills bearing GSTIN and HSN/SAC code that "total GST has been deposited and returns have been filed for relevant tax period."
- vi) In addition, a general undertaking shall also be furnished by the bidder at the time of submission of bid that "as on date, no default has been made by us towards payment of GST and all returns up to the last date of submission of bid have been filed by us."

15.0 बिलों का भुगतान

- 15.1 संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा । संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होंगे । नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर का मूल्य कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7(94)जन/2017.18/8435 दिनांक 01.06.2018 के अनुसार होगा एवं समय-समय पर जारी संशोधन भी लागू रहेंगे ।
- 15.2 संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।
- 15.3 महीने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह की प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
- 15.4 यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की फोटो प्रति बिल के साथ कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।
- 15.5 साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट-पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।
- 15.6 प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से एम्बुलेन्स का उपयोग नहीं होने पर, ऐसी अवधि का कोई भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति या अन्य किसी प्रकार के दावे की राशि कम्पनी द्वारा देय नहीं होगी ।
- 15.7 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।
- 15.8 संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाली एम्बुलेन्स में जीपीएस (G.P.S.) की व्यवस्था रखनी होगी एवं जीपीएस (G.P.S.) का विवरण प्रत्येक माह के बिल के साथ संलग्न करना होगा ।

16.0 पेट्रोल/डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर

- 16.1 यदि पेट्रोल/डीजल वृद्धि अथवा कमी (एसकेलेशन अथवा डिएसकेलेशन) की गणना करने के लिए पेट्रोल/डीजल की मूल दर निविदा प्रकाशन की दिनांक 30.07.2026 को बाड़मेर जिले में I.O.C.L./H.P.C.L./B.P.C.L. की खुदरा दर Rs. Rs.114.15/Rs.99.30 लागू होगी ।

16.2 पेट्रोल/डीजल की दरों में पाँच (05) पैसे प्रतिलीटर तक की घटत-बढ़त का कोई प्रभाव नहीं दिया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रचलित दर लागू रहेगी।

16.3 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के संचालन के मासिक स्तर (तय) दर के संबंध में :

(पेट्रोल / डीजल की वर्तमान दर— मूल दर निविदा प्रकाशन तिथि के समय की पेट्रोल / डीजल दर)
X (वास्तविक चालित किलोमीटर तक)

15 कि.मी. प्रति लीटर

16.4 उपरोक्त घटत बढ़त केवल पेट्रोल / डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी। किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

16.5 कार्य आदेश जारी होने पर संविदाकार को बिल प्रस्तुत करने की तिथि पर बाड़मेर में पेट्रोल / डीजल की प्रचलित दर, जोकि पेट्रोल / डीजल रिटेल आउट-लेट के द्वारा जारी किया गया हो को इकाई प्रमुख, बाड़मेर, आरएसएमएमएल, बाड़मेर से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17.0 रोगी वाहन पर नियोजित चालक

17.1 एम्बूलेन्स के चालक मासिक आधार पर नियोजित, स्वस्थ, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित होना आवश्यक हैं। एम्बूलेन्स चालकों की सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-ब) में देनी होगी।

17.2 एम्बूलेन्स वाहन चालक के पास ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया अधिकृत वाहन चलाने का लाइसेंस, टोकन तथा वाहन के संपूर्ण प्रपत्र होने आवश्यक हैं।

17.3 पारी के अंत में/दैनिक कार्य पूर्ण होने पर लॉग बुक में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लॉग बुक की जाँच करने के लिए मांगने पर वाहन चालक को लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी।

17.4 कम्पनी की जिम्मेदारी केवल लॉग बुक में सत्यापित यात्राओं के भुगतान की रहेगी। यात्रा विवरण की वे प्रविष्टियाँ जिन का सत्यापन कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, उनका भुगतान करने की कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

17.5 रोगी वाहन चालक ड्यूटी के दौरान शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किए हुए पाया जाने पर उसे वाहन का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था संविदाकार की जोखिम व लागत पर ही की जा सकेगी व इसका संपूर्ण भुगतान संविदाकार के मासिक बिलों में से कटौती करके किया जाएगा।

17.6 रोगी वाहन चालक सदैव वाहन को ठीक तरह से चलायेगा और किसी भी तरह के वाद-विवाद अथवा दुर्घटना से बचाव करेगा। यात्रा के दौरान वाहन चालक या हेल्पर की गलती से या अन्य किसी कारण से यदि उस पर कोई दंड किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया जाता है तो उसका भुगतान संविदाकार को करना होगा तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

17.7 रोगी वाहन पर लगाए गए कर्मचारी का वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान संविदाकार द्वारा देय होगा। यदि संविदाकार अपने कर्मचारी का भुगतान प्रत्येक माह की सात (07) तारीख तक नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से कटौती करके वाहन पर लगाए गए कर्मचारी को देय मासिक वेतन का भुगतान कर दें।

- 17.8 वाहन पर लगाए गए कर्मचारियों का व्यवहार अथवा कार्य उचित नहीं पाने पर संविदाकार को ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त बदलना होगा।
- 17.9 चालक के पास मोबाइल (एयरटेल या समकक्ष सेवा प्रदाता की सिम से युक्त का) चालू हालत में हमेशा होना तथा उसे हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है वाहन चालक एवं मालिक को कम्पनी के वाहन संचालन संबंधित सभी निर्देशों की पूर्णरूप से पालना करनी होगी। वाहन चालक संविदा समयावधि में वाहन का उपयोग किसी भी निजी अथवा अन्य कार्यों के लिए नहीं करेगा और कानून विरुद्ध कार्य में परिचालन नहीं करेगा।
- 18.0 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के परिचालन के संदर्भ में
- 18.1 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) मॉडल वर्ष 2026 या उसके बाद के वर्ष के मॉडल की होना आवश्यक है।
- 18.2 निविदाकर्ता को एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के साथ हर समय काम में आने वाले औजार, स्टेपनी एवं आवश्यक स्पेयर्स रखने आवश्यक होंगे। कम्पनी के यान्त्रिक अभियंता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया जा सकेगा।
- 18.3 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) पर पूर्ण रूप से सीट कवर, पर्दे इत्यादि सही हालत में लगे होने अनिवार्य है। इनके समय समय पर रखरखाव व व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी निविदाकर्ता की होगी।
- 18.4 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के रखरखाव/दुरुस्ती करवाने की दशा में उसके स्थान पर संविदाकार को उसी प्रकार की वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रबन्धन को समय से पूर्व लिखित में अवगत कराना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो।
- 18.5 यदि एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) को लम्बे समय के लिए मरम्मत के लिए ले जाया जाता है तो निविदाकर्ता को इसकी पूर्व अनुमति प्रबन्धन से लिखित रूप में लेनी होगी तथा इस दौरान सुचारु वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यदि संविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है तो कम्पनी संविदाकार की जोखिम व लागत (Risk & Cost) पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगी व इसका समायोजन संविदाकार के मासिक बिलों से किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रबन्धन एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) 3000/-प्रति दिन तक पेनल्टी, जोकि कान्ट्रेक्ट वेल्थ के 15 प्रतिशत से अधिक मासिक आधार पर नहीं होगी।
- 18.6 संविदा की अवधि के दौरान एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का रोड टैक्स/स्पेशल रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेंसिव बीमा, रोड परमिट इत्यादि वैध होने चाहिए व इन वैध प्रपत्रों की भी एक एक फोटो प्रतिलिपि, कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- 18.7 संविदाकार को एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) की लॉग बुक सही हालत में रखनी होगी।
- 18.8 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) को दुरुस्त रखना एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।
- 18.9 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम.लिमिटेड के लिए ही किया जाएगा। उक्त वाहन में केवल आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त रोगी एवं व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।
- 18.10 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) को चलाने के संबंध में ईंधन, ऑयल, इत्यादि का खर्चा निविदाकर्ता को वहन करना होगा।

19.0 संविदा की समाप्ति

- 19.1 कार्य आदेश जारी होने की निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ न करने की स्थिति में कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
- 19.2 यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं हैं एम्बूलेन्स तीन (03) दिन तक लगातार ड्यूटी हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिए संविदा को समाप्त कर सकता है । इस प्रकार संविदा समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है व कम्पनी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार के किसी भी बकाया बिल अथवा धरोहर राशि में से इसका समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा । उक्त राशि समुचित नहीं होने पर शेष राशि विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा वसूली जा सकेंगी ।
- 19.3 किन्हीं अपरिहार्य कारणों से एम्बूलेन्स की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में संविदाकार को दो (02) महीने का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है, जिसका अधिकार कम्पनी को होगा ।

20.0 संविदाकार द्वारा अपील करना

यदि निविदाकर्ता, प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो परिशिष्ट-सी के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी जोकि प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएम लिमिटेड, मीरा मार्ग, उदयपुर है व द्वितीय अपील अधिकारी खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर है के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंगन Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है ।

21.0 न्याय क्षेत्र

इस संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर न्यायालय ही रहेगा ।

22.0 विविध

संविदा लागू होने की स्थिति में संविदाकार को कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और संविदाकार द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । संविदाकार ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा । कम्पनी के पी. एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । चूंकि संविदाकार के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि संविदाकार की ओर से जमा करानी होगी अतः संविदाकार उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी संविदाकार की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । संविदाकार ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को संविदाकार उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत

कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

- 23.0 निविदाकर्ता को स्थान, मार्ग आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे । निविदा में किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी ।
- 24.0 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर
मोबाईल न.

निविदा प्रपत्र की विशिष्ट शर्तें

(Special terms and conditions)

1. कार्य का संक्षिप्त विवरण

सोनडी खदान बाड़मेर में लिग्नाईट व ओवर बर्डन खनन का कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में किया जाता है, उपरोक्त कार्य के लिये राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड व अनुबन्धित ठेकेदारों के श्रमिक निरन्तर कार्य करते हैं कार्य की प्रकृति वृहद मशीनों एवं भारी वाहनों के परिचालन से आकस्मिक दुर्घटना एवं चोट लगने की संभावना रहती है जिसके मध्य नजर सोनडी लिग्नाईट खदान पर 24 घन्टे वास्ते पीडित अथवा रोगी कर्मचारी के तुरन्त परिवहन व निकटतम औषधालय में प्राथमिक चिकित्सा हेतु परिवहन के लिए पूर्ण रूप वातानुकूलित A.C से सुसज्जित एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) की आवश्यकता है ।

2. शर्तें एवं दिशा-निर्देश

- 2.1 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) प्रतिदिन 24 घंटे निर्दिष्ट स्थान पर मय चालक हमेशा परिवहन हेतु उपलब्ध होना आवश्यक है ।
- 2.2 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का यान्त्रिक तौर पर रखरखाव सावधानीपूर्वक पहले से ही करते हुये 24 घन्टे उपलब्ध कराना निविदा का मुख्य मर्म है ।
- 2.3 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) में वातानुकूलित A.C , आक्सीजन सिलेण्डर व अन्य जरूरी उपकरण, स्टेचर एवं प्राथमिक चिकित्सा संबंधित आवश्यक उपकरणों को सुसज्जित रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है । सभी उपकरण 24 घन्टे उपयोग हेतु तैयार अवस्था में उपलब्ध कराना अति आवश्यक है ।
- 2.4 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) की आन्तरिक सफाई व सीट कवर आदि की धुलाई नियमित तौर पर किया जाना अति आवश्यक है ।
- 2.5 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) का किसी भी अन्य किसी कार्य में प्रयोग व वाहन चालक द्वारा बिना किसी अनुमति के परिवहन अवान्छनीय है ।
- 2.6 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) के चालक के पास हमेशा एयर-टेल की सिम से युक्त मोबाइल 24 घन्टे चालू हालत में होना आवश्यक है ।
- 2.7 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) द्वारा केवल घायल कर्मचारी/रोगी, चिकित्सक, कम्पाउण्डर, नर्स अथवा संबंधित/वांछनीय व्यक्ति का ही परिवहन किया जावेगा ।
- 2.8 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) विशिष्ट परिस्थितियों में बाड़मेर जिले के बाहर अथवा राजस्थान राज्य के बाहर भी चिकित्सा कार्य हेतु निर्देशानुसार भेजी जा सकती है ।
- 2.9 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) पर कार्य की प्रकृति को देखते हुये समुचित संख्या में चालक उपलब्ध कराना आवश्यक है । किसी भी कारण से चालक उपलब्ध न कराने की अवस्था में यदि कम्पनी द्वारा आकस्मिक रूप से वाहन चालक उपलब्ध कराया जाता है तो उस अवस्था में निविदाकर्ता से जुर्माने के रूप में 1500/- प्रति दिन वसूला जावेगा ।
- 3.0 एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) में जीपीएस (G.P.S.) की व्यवस्था रखनी होगी तथा प्रत्येक माह बिल के साथ जीपीएस (G.P.S.) का विवरण लगाना आवश्यक है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

निविदा संख्या: RSMM/CEU-Lig./BMR/SLP/2026-27/27/37

दिनांक : 30.07.2026

प्रथम भाग

तकनीकी एवं वाणिज्यिक

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि ।	डीडी नं.....रु..... दिनांक
2.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब-साईट से डाउन-लोड किया है तो निविदा प्रपत्र के मूल्य का विवरण ।	डीडी नं.....रु..... दिनांक
3.	ई-निविदा प्रक्रिया का शुल्क जो कि एम.डी., आर. आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय है ।	डीडी नं.....रु..... दिनांक
4.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई-मेल इत्यादि ।	
5.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें	
6.	निविदा प्रपत्र में क्लोज संख्या 3.0 के अनुसार वांछित शपथ पत्र परिशिष्ट द-‘य’ ।	संलग्न – हाँ/नहीं
7.	एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये परिशिष्ट-‘र’ ।	संलग्न – हाँ/नहीं
8.	कारोबार वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022-23 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित दस्तावेज) कम से कम रुपये 6,00,000/-रुपये । समान प्रकृति के कार्य का अनुभव कम से कम रुपये 02,00,000/- राशि का एक सम्पादित कार्य प्रमाण-पत्र गत वित्तीय वर्ष क्रमशः 2022-23 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26	संलग्न – हाँ/नहीं
9.	अण्डर टेकिंग परिशिष्ट-‘श’ के अनुसार	संलग्न – हाँ/नहीं
10.	अण्डर टेकिंग Annexure-B एवं परिशिष्ट-‘स’ के अनुसार ।	संलग्न – हाँ/नहीं
11.	G.S.T. registration number एवं प्रतिलिपि ।	संलग्न – हाँ/नहीं
12.	पैन (PAN) नम्बर की प्रति एवं नम्बर ।	संलग्न – हाँ/नहीं

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :-

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

प्रारूप

निविदाकार द्वारा नियोजित वाहन एम्बूलेन्स पर नियुक्त चालकों का विवरण :

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति
7. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
8. यात्री वाहन का बैज नं.
9. ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी (भारी वाहन चालक)
10. शैक्षणिक योग्यता
11. कार्यानुभव एवं प्रमाण

निविदाकार के हस्ताक्षर-----
एवं दिनांक

Undertaking

I/We in respect of submission of tender or the work of hiring of Ambulance Model year 2022 or later to the RSMM Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.
2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.
3. No Legal case is pending with RSMML.

()
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं पुत्र जाति
निवासी..... तहसील जिला.....(राज.) शपथ
पूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. कि यदि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की निविदा संख्या: RSMM/CEU-Lig./BMR/SLP/2026-27/27/37 दिनांक 30.07.2026 के तहत मेरे पक्ष में कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 15 दिवस के अन्दर-अन्दर कम्पनी द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार एवं निविदा प्रपत्र में वांछित माडल के एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) आपको उपलब्ध करवा दूँगा ।
2. यह है कि यदि मैं 15 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार वाहन उपलब्ध नहीं करवा पाता हूँ तो मेरी बयाना राशि **रुपये 24,000/-** एवं जमा धरोहर राशि/बयाना राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को होगा ।

ह. निविदाकर्ता

तस्दीक

मैं तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं । इति दिनांक

ह. निविदाकर्ता

प्रारूप

(रूपये 50/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है)

शपथ पत्र

मैंपुत्र.....जातिआयु.....
 निवासी गाँव/कस्बा/मोहल्ला, मकान नं०.....तहसील जिला
 (प्रदेश) शपथपूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ कि :-

1. यह है कि मैसर्स ने आरएसएमएम लिमिटेड में सोनडी लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर के लिए एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) चालक सहित किराये पर परिचालन के कार्य के लिए निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया है । जिसको मैंने भली भाँति पढ़ एवं समझ लिया है तथा निविदा प्रपत्र में जारी सभी शर्तें एवं नियम मुझे मान्य हैं ।
2. यह है कि मैसर्स के पक्ष में यदि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा उक्त कार्य जारी किया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य को सुचारु रूप से एवं बिना किसी अवरोध के करने का तैयार हूँ ।
3. यह है कि आरएसएमएम लि. के द्वारा मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य के लिए निविदा प्रपत्र में के अनुसार ही नियत समय पर वाहन उपलब्ध कराऊंगा एवं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरे स्वयं की होगी ।
4. यह है कि आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा संलग्न निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट कार्य मेरे पक्ष में जारी किये जाने पर मैं यदि विलम्ब करता हूँ या कार्य आरम्भ/क्रियान्वित करने में असफल रहता हूँ तो कम्पनी द्वारा कार्य आदेश निरस्त कर मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि/बयाना राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं भविष्य में आरएसएमएम लिमिटेड द्वारा जारी किसी प्रकार के निविदा में मुझे भाग लेने के पात्र नहीं माना जावे, जिसके लिए मैं भविष्य में किसी प्रकार का एतराज एवं उज्र नहीं करूँगा ।

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं उक्त ईश्वर को साक्षी मानकर बयान करता हूँ कि इस शपथ पत्र के पैरा 1 लगायत 4 सत्य एवं सही हैं तथा संलग्न निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें पढ़ व समझ कर स्थिर बुद्धि, स्वस्थ चित्त की अवस्था में अपने हस्ताक्षरों से कुल कितना मुद्रांक 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवें । इति

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

दिनांक—

स्थान:

गवाह 1. हस्ताक्षर.....
 (गवाह का नाम व पूरा पता)

2. हस्ताक्षर
 (गवाह का नाम व पूरा पता)

Declaration

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006. _____ (Yes/No)

2. If yes, please furnish the declaration given below.

We (Name of Tenderer _____), hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____ (Micro, Small & Medium) Enterprises.

3. Enclose attested copy of registration certificate.

4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:

Place:

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF
Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I.....S/o Shri aged..... year,
resident of on behalf of the
tenderer i.e. M/s hereby
undertake oath and state as under:-

- 1) That I have submitted a tender for hiring of an Ambulance (Model Year 2022 or later).
- 2) That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
- 3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).
- 4) That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)

FORM"3"**EXCEPTIONS AND DEVIATION**

Ref: e-tender no. RSMM/CEU-Lig./BMR/SLP/2026-27/27/37 Dated 30.07.2026

Name of
Tenderer_____

Tenderer may stipulate here exceptions and deviations to the tender conditions, if considered unavoidable.

No.	Page No. of tender document	Clause No. of tender documents	Subject	Deviation

Signature of Tenderer with office seal



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

*Managing Director,
RSMM Limited,
4, Meera Marg, Udaipur (Raj.)*

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

*Principal Secretary,
Mines Department,
Government of Rajasthan
Jaipur.*

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procumbent;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012**

Appeal No. of
Before the(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal :
.....(Supported by an affidavit)
7. Prayer:
.....
.....

Place
Date
Appellant's Signature



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

कार्य की दरें ऑन-लाईन निविदा भरने का प्रोफार्मा

निविदाकर्ता इस परिशिष्ट BOQ को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेगा

PRICE SCHEDULE (This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)						
NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Km per Month for all five vehicles	Rs per KM per Vehicle	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder (excluding GST) Rs. P	TOTAL AMOUNT per month for 1000 KM (excluding GST) Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	4	5	13	53	55
1	Hiring of Taxi at Sonari Lignite Mines					
1.01	Rate in Rs per Km for 1 Nos of Ambulance upto 1000 KM . The rate is exclusive of Goods and Service Tax.The Lowest bidder will be decided on this rate.In case of equal rate by two bidders, the lower shall be determined on the basis of rate quoted for per Km beyond 1000 KM as below.	1000.000	Rs per KM		0.00	INR Zero Only
1.02	Rate in Rs per Km per beyond 1000 KM .The Rate is exclusive of GST. This rate shall not be used for deciding lowest bidder except as above.	1.000	Rs per KM		0.00	INR Zero Only
Total in Figures					0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only				

Public Sector Banks & Private Sector banks as per schedule II of the Reserve Bank of India Act, 1954

List of Scheduled Public Sector Banks

S.No.	Name of the Bank
1	Bank of Baroda
2	Bank of India
3	Bank of Maharashtra
4	Canara Bank
5	Central Bank of India
6	Indian Bank
7	Indian Overseas Bank
8	Punjab & Sind Bank
9	Punjab National Bank
10	UCO Bank
11	Union Bank of India
12	State Bank of India

List of Scheduled Private Sector Banks

S.No.	Name of the Bank
1	Axis Bank Limited
2	Bandhan Bank Limited
3	CSB Bank Limited
4	City Union Bank Limited
5	DCB Bank Limited
6	Dhan Laxmi Bank Limited
7	Federal Bank Limited
8	HDFC Bank Limited
9	ICICI Bank Limited
10	IndusInd Bank Limited
11	IDFC FIRST Bank Limited
12	Jammu & Kashmir Bank Limited
13	Karnataka Bank Limited
14	Karur Vysya Bank Limited
15	Kotak Mahindra Bank Limited
16	Nainital Bank Limited
17	RBL Bank Limited
18	South Indian Bank Limited
19	Tamilnad Mercantile Bank Limited
20	YES Bank Limited
21	IDBI Bank Limited
22	AU Small Finance Bank

PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a Public Sector/Private sector /ICICI/HDFC/AXIS Bank having its Branch office at Jaipur on the non-judicial stamp paper of value equal to @ 0.25% (zero point twenty five percent) of the total Security Deposit Amount subject to maximum of Rs. or as applicable at the time of submission of BG.

B.G. _____ Dated _____

Contact details of BG issuing Banker :

- Postal Address:-
- Telephone Nos.:-
- Fax No.:-
- e-mail Address:-
- Contact person e-mail:-

Contact details of Banker's local branch at Jaipur :

- Postal Address:-
- Telephone Nos.:-
- Fax No.:-
- e-mail Address:-
- Contact person e-mail:-

This Deed of Guarantee executed between _____ a Nationalised / Scheduled Bank, having its registered office at **(mention complete postal address with contact nos./mail address etc.)**_____ and its head office at **(mention complete postal address with contact nos./mail address etc.)**_____ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/Bank) AND Rajasthan State Mines and Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act, 1956, having its Registered Office at C-89-90, Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur (Raj.) and Corporate Office at 4, Meera Marg, Udaipur (Raj.) and wherever its context so required includes its successors and assignees(hereinafter called 'the company').

Whereas the Company having agreed to exempt M/s. _____ a company/partnership firm _____ (address of registered/H.O.) where ever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Contractor/supplier/RC holder') from the demand under the terms and conditions of Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract no. _____ dated _____ issued in favour of the Contractor/supplier/RC holder, hereinafter called 'the said 'Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provision thereof, of cash security deposit for the due fulfilment by the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs. _____ (Rs. _____) being equivalent to _____% of Contract value of Rs. _____.

Now this deed witnessed that in consideration of said bank having agreed on the request of the Contractor/supplier/RC holder to stand as surety for payment of Rs. _____ as security deposit to the company subject to the following conditions.

We, _____(Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs. _____ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said contractor/supplier/RC holder of any of the terms and/or conditions contained in the Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract. The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us.

We, _____ (bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor/supplier/RC holder or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor/supplier/RC holder before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said contractor/supplier/RC holder of any of the terms and conditions contained in the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract by reason of the said contractor's/supplier's/RC holder's failure to perform the covenants contained in said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract. Any such demand made on the bank shall be conclusive, absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. _____.

We, _____(bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the contract have been fully paid and its claim/s satisfied or discharged or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract have been fully and properly carried out by the said contractor/supplier/RC holder and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before _____(scheduled completion date, plus six months or period which is required), the bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further extended by the bank.

In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we(bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor/supplier/RC holder hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor/supplier/RC holder and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the contractor/supplier/RC holder. Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Jaipur branch office

_____(specify the name & address) under the signatures of the company's Financial Advisor/ Group General Manager/ General Manager or any of the Directors shall deemed to be sufficient demand under this guarantee.

We, _____(bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract or to extend time of performance by the said Contractor/supplier/RC holder from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Company against the said Contractor/supplier/RC holder and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said contractor/supplier/RC holder or for any fore bearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor/supplier/RC holder or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.

This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the contractor/supplier/RC holder or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the contractor/supplier/RC holder nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs. _____ is made by the Bank.

The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other security/guarantee/promissory note from any person and/or the contractor/supplier/RC holder and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.

We, _____(Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.

The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated _____ granted to him by the bank.

For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Jaipur courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I, HEREBY _____ SON OF _____(designation)_____(branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the state of _____executed at _____ this the _____ day of _____2026.

- - - - -